



भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड
मध्य मार्ग, सैक्टर 19-बी, चंडीगढ़-160019
दूरभाष: 0172-5011761,
फैक्स-0172-2549857
E-Mail: spsecy@bbmb.nic.in



अधिसूचना

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड ने दिनांक 13.09.1974 को दिल्ली में आयोजित अपनी 47वीं बैठक की मद संख्या 47.06 द्वारा क्रय समिति की संरचना को बढ़ाने हेतु अपने पृष्ठांकन क्रमांक 11052-53/बीएमबी/बी-769/3बी दिनांक 19.08.1974 द्वारा अधिसूचित किया गया, जिसमें पंजाब राज्य बिजली बोर्ड, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड, तथा हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को जोड़ा गया। इस प्रकार पुर्नगठित क्रय समिति में अब निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

1. अध्यक्ष, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, चण्डीगढ़। अध्यक्ष
 2. सदस्य विद्युत, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, चण्डीगढ़। सदस्य
 3. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, चण्डीगढ़। सदस्य
 4. तकनीकी सदस्य, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड सदस्य
 5. तकनीकी सदस्य, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड सदस्य
 6. तकनीकी सदस्य, राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड सदस्य
 7. तकनीकी सदस्य, हिमाचल राज्य बिजली बोर्ड सदस्य
 8. श्री रामालिंगम स्वामी, निदेशक (पारेषण), सहयोजित सदस्य
केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग
2. बैठक में उपस्थित चार सदस्य कोरम का गठन करेंगे।
3. यह क्रय समिति जैसा कि ऊपर गठित की गई है, सदस्य (विद्युत) द्वारा भेजे गए मौद्रिक सीमा 50 लाख रुपये के क्रय प्रस्तावों पर विचार और निर्णय करेगी।
4. रुपये 50 लाख के मूल्य से अधिक वाले प्रस्ताव बोर्ड को भेजे जाएंगे।
5. यह बोर्ड कार्यालय के पृष्ठांकन क्रमांक 11052-55/बीएमबी/बी-769/3बी दिनांक 19.08.1974 द्वारा जारी अधिसूचना का अधिक्रमण करता है।

-एस/-
अतिरिक्त सचिव

पृष्ठांकन क्रमांक: 12918-25 /बीएमबी/बी-769/3बी दिनांक: 30/9/1974

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. सदस्य (विद्युत), भा.ब्या.प्र.बोर्ड, 2569 सैक्टर 35-C चण्डीगढ़।
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, भा.ब्या.प्र. बोर्ड, नंगल टाऊनशिप।
3. सचिव, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड, दी माल, पटियाला।
4. सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, सैक्टर 17, चण्डीगढ़।
5. सचिव, राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड, जयपुर।
6. सचिव, हिमाचल राज्य बिजली बोर्ड, शिमला।
7. श्री के.एस.सुब्रह्मणियम, सदस्य(एच.इ.), बिकानेर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली।
8. श्री रामालिंगम स्वामी, निदेशक (पारेषण), केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

-एस/-
अतिरिक्त सचिव